सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्ठियां, जिनके अर्न्तगत किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है, तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।

किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि में किसी भी समय बोर्ड मुख्यालय में उपलब्ध अधिकारियों से विभाग से संबंधित ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो उस व्यक्ति या संगठन से सम्बन्धित है । इस उद्‌देश्य के लिए किसी वाचनालय या पुस्तकालय की अलग से व्यवस्था नहीं की गयी है, तथा मुख्यालय/जिला स्तर पर परामर्श कक्ष/सूचना केन्द्र बनाये गये है।